N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0139 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 12/07/2024 17:51 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 26/06/2024 **Date To (दिनांक तक):** 10/07/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 15:30 बजे **Time To (समय तक):** 19:29 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 12/07/2024 **Time (समय):** 15:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 12/07/2024 17:51:52 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 10 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** SIDHI VINAYAK ELECTRIC AND, SANITORYJAIPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** LOVE MAINI

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** SATISH KUMAR MAINI

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1978 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	392, PINK CITY ENCLAVE, GYAN VIHAR UNIVERSITY, JAGATPURA JAIPUR, JAIPUR (WEST), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	392, PINK CITY ENCLAVE, GYAN VIHAR UNIVERSITY, JAGATPURA JAIPUR, JAIPUR (WEST), RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	HIMANSHU MUDGAL		पिता:BHAKTVATSLAM SHARMA	1. 5 -B PREM NAGAR,KHATIPURA ROAD,JOTWARA,JAIPUR,JAIPUR (WEST),RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		20,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 20,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

दिनांक 26.06.2024 को अति0 पुलिस अधीक्षक, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन विंग भ्र.नि.ब्यूरो जयपुर ने मन् पुलिस निरीक्षक को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर उनके पास बैठे हुये व्यक्ति श्री लव मैनी पुत्र श्री सतीश कुमार मैनी, उम्र 46 साल, जाति पंजाबी, निवासी प्लॉट नम्बर 392, पिंक सिटी एनक्लेव, नीयर ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी, जगतपुरा जयपुर से परिवादी के रूप में परिचय करवाते हुए परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को मेरे नाम पृष्ठांकित करते हुए अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये, जिस पर मन पुलिस निरीक्षक परिवादी श्री लव मैनी को साथ लेकर अपने कार्यालय कक्ष में आयी तथा प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तो उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसआईडब्ल्यू, ए.सी.बी. जयपुर को सम्बोधित किया गया है। मजिद दरियाफ्त पर परिवादी श्री लव मैनी ने बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र मेरे स्वयं द्वारा हस्तलिखित है व इस पर मेरे हस्ताक्षर किये हुए हैं तथा इसमें अंकित तथ्य सही है। परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि "मैं लव मैनी पुत्र श्री सतीश कुमार मैनी, उम्र 46 साल, जाति पंजाबी, निवासी प्लॉट नम्बर 392, पिंक सिटी एनक्लेव, नीयर ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी, जगतपुरा जयपुर का रहने वाला हूँ। मैं पी.एच.ई.डी. में पानी के कनेक्शन का गर्वमेंट अप्रूव्ड पलम्बर हूँ। मेरी आई.डी. संख्या S4/005 है। मेरी फर्म का नाम सिद्धी विनायक इलेक्ट्रीकल्स एण्ड सैनेट्री वीयर है। मैं सांगानेर, जयपुर में पानी के कनेक्शन का कार्य करता हूँ। मेरी कनेक्शन की फाईल पीएचईडी सांगानेर में UDC हिमांशु मुद्गल सब डिविजन-II सांगानेर द्वारा अप्रूव्ड की जाती हैं। हिमांशु मुद्गल द्वारा मेरी पूर्व में अप्रूव्ड की गई फाईलों और अभी पैण्डिंग 21 फाईलों को मिलाकर फाईल अप्रूव्ड करने के लिए 20,000/- (बीस हजार) रूपये रिश्वत की मांग कर रहे हैं तथा रिश्वत के लिए बार-बार परेशान कर रहे हैं। मैं हिमांशु मुद्गल UDC को रिश्वत के 20,000/- (बीस हजार रूपये) नहीं देना चाहता हूं। मेरी हिमांशु मुद्गल से कोई पुरानी रंजिश नहीं है और न ही कोई लेन देन बाकी है। मैं हिमांशु मुदगल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ। कार्यवाही करने की कृपा करें।" संलग्न 1. आधार कार्ड की छायांप्रति 2. पेडिंग पानी कनेक्शन की 21 फाईलों की लिस्ट 3. आई.डी. संख्या S4/005 की छायांप्रति। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेज के अवलोकन व मजीद दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांग का पाया जाने पर मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु कार्यालय के श्री भूपेन्द्र कुमार कानि. 442 का परिवादी से आपस में परिचय करवाकर उन्हें कार्यालय का डिजीटल वाईस रिकॉर्डर उपलब्ध करवाया गया तथा उक्त डिजीटल वाईस रिकॉर्डर श्री भूपेन्द्र कुमार कानि. को सुपूर्द कर आवश्यक निर्देश दिये जाकर परिवादी श्री लव मैनी व श्री भूपेन्द्र कुमार कानि. 442 को गोपनीय मांग सत्यापन हेतु कार्यालय से रवाना किया गया। सायं 6.30 बजे परिवादी व श्री भूपेन्द्र कुमार कानि. कार्यालय में मन पुलिस निरीक्षक के समक्ष उपस्थित आये तथा श्री भूपेन्द्र कुमार कानि. ने उसको पूर्व में सुपूर्द किया गया डिजीटल वाईस रिकॉर्डर पेश करते हुए अवगत कवाया कि मैं और परिवादी एसीबी कार्यालय से रवाना होकर संदिग्ध आरोपी के कार्यालय के पास पहुंचे, जहां गोपनीय रूप से मालूमात करने पर ज्ञात हुआ कि संदिग्ध आरोपी कार्यालय में मौजूद नहीं है। चूंकि कार्यालय समय भी समाप्त हो चुका था इसलिए संदिग्ध आरोपी की कार्यालय में उपस्थित आने की सम्भावन नहीं होने के मध्यनजर हम वहां से वापिस रवाना होकर कार्यालय में आये हैं। इस पर परिवादी द्वारा श्री भूपेन्द्र कुमार कानि. की बातों की ताईद करते हुए बताया कि आईन्दा संदिग्ध आरोपी कार्यालय में उपस्थित आने पर मुझे फोन करेगा, मैं उससे फोन पर वार्ता कर मिलने के लिए समय लेकर ही उसके पास जाऊँगा। इस पर परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने एवं संदिग्ध आरोपी से सम्पर्क होते ही मन पुलिस निरीक्षक को अवगत करवाने व अन्य आवश्यक हिदायत की जाकर रूखसत किया गया तथा डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को कार्यालय आलमारी में सुरक्षित रखा गया। श्री भूपेन्द्र कुमार कानि. को हिदायत की गई कि आईन्दा परिवादी का संदिग्ध आरोपी से सम्पर्क होने पर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर परिवादी के पास पहुंचकर रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही करवायें। दिनांक 06.07.2024 को दोपहर 03.45 बजे श्री भूपेन्द्र कानि. ने जरिये फोन मन पुलिस निरीक्षक को अवगत अवगत करवाया कि अभी कुछ देर पहले परिवादी ने मुझे बताया कि मेरी संदिग्ध आरोपी से जरिये फोन पर वार्ता हुई है, उसने मुझे कहा है कि मै मिलने के लिए ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी जगतपुरा जयपुर के पास स्थित आपकी दुकान पर ही आ रहा हूँ, जिस पर श्री भूपेन्द्र कुमार कानि. को तलब कर कार्यालय आलमारी से डिजीटल वाईस रिकॉर्डर निकालकर श्री भूपेन्द्र कुमार कानि. को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर सुपूर्द किया जाकर अविलम्ब परिवादी के पास पहुंचकर रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही करवाने एवं अन्य आवश्यक हिदायत की जाकर कार्यालय से रवाना किया गया। सायं 06.00 बजे

परिवादी श्री लव मैनी व श्री भूपेन्द्र कुमार कानि. कार्यालय में मन पुलिस निरीक्षक के समक्ष उपस्थित आये। श्री भूपेन्द्र कुमार कानि. ने उसको पूर्व में सुपूर्द किया गया डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मन पुलिस निरीक्षक को पेश करते हुए अवगत करवाया कि मैं कार्यालय से रवाना होकर ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी जगतपुरा जयपुर के पास स्थित परिवादी की दुकान सिद्धी विनायक इलेक्ट्रिकल्स एण्ड सैनेट्री वेयर के पास पहुंचा, जहां परिवादी को फोन किया तो परिवादी उसकी दुकान से कुछ दूरी पर मेरे पास आ गया, जहां मैने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी को दे दिया था। परिवादी डिजीटल वाईस रिकॉर्डर लेकर उसकी दुकान के अन्दर गया व कुछ देर बाद वापिस मेरे पास आया एवं डिजीटल वाईस रिकॉर्डर पेश किया जिसे बन्द कर मैने अपने पास रख लिया है। परिवादी से पूछने पर परिवादी ने श्री भूपेन्द्र कुमार कानि. की बातों की ताईद करते हुए बताया कि श्री भूपेन्द्र कुमार कानि. के पहुंचने से पहले ही संदिग्ध आरोपी मेरी दुकान पर आ चुका था, उसके बाद जब श्री भूपेन्द्र कुमार आये व मुझे फोन किया तो मैं बच्चे को छोडने का बहाना बनाकर बाहर आया वहां श्री भूपेन्द्र कुमार कानि. ने मुझे डिजिटल वॉयस रिकार्डर चालू करके सपुर्द किया था। उसके बाद मै मेरी दुकान के अन्दर गया वहां पर मेरी संदिग्ध आरोपी से मेरी पानी के कनेक्शन की फाईलों के बारे में वार्ता हुई तो संदिग्ध आरोपी ने मुझसे उसके द्वारा पूर्व में अप्रूव्ड की गई फाईलों व वर्तमान में लम्बित 21 फाइलों, कुल मिलाकर 221 फाईलों को अप्रुव्ड करने की एवज में 20,000 रूपये रिश्वत राशी की मांग की है। मेरे और संदिग्ध के मध्य हुई रिश्वत मांग सम्बंधी वार्ता मैने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकार्ड की है। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड परिवादी और संदिग्ध आरोपी की वार्ता को कार्यालय कम्प्यूटर की सहायता से सुना गया तो रिकॉर्डर में संदिग्ध आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत मांग किया जाना सत्यापित हुआ। मन पुलिस निरीक्षक ने डिजिटल वॉयस रिकार्डर को सुरक्षित मेरी कार्यालय आलमारी में रखा। मन पुलिस निरीक्षक के अन्य गोपनीय कार्यवाही में व्यस्त होने के कारण परिवादी श्री लव मैनी को रिश्वत राशी सहित दिनांक 09.07.2024 को प्रातः 11.00 बजे मन पुलिस निरीक्षक के समक्ष ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत की जाकर रूखसत किया गया। दिनांक 08.07.2024 को गोपनीय कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह श्री निखिल कुमार प्रयोगशाला सहायक, भूजल विभाग, जयपुर व श्री संदीप मीणा प्रयोगशाला सहायक, भूजल विभाग, जयपुर कार्यालय भूजल विभाग, जयपुर, पाबन्द किये गये। दिनांक 09.07.2024 को प्रातः 11.00 बजे परिवादी श्री लव मैनी व पूर्व से पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाह कार्यालय में मन पुलिस निरीक्षक के समक्ष उपस्थित आये। परिवादी व स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय करवाया गया तथा दोनों स्वतन्त्र गवाहान को गोपनीय कार्यवाही बाबत अवगत कराया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पढवाया जाकर गोपनीय कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाह रहने की सहमति चाही तो दोनो स्वतन्त्र गवाह ने गोपनीय कार्यवाही में गवाह रहने की अपनी-अपनी सहमति दी। प्रार्थना पत्र पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। उसके बाद परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 06.07.2024 को कार्यालय कम्प्यूटर की सहायता से सुना गया एवं परिवादी व स्वतंत्र गवाहान को सुनाया गया तथा उक्त वार्ता की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की गई। रिकॉर्डशुदा वार्ता की चार सीडियां तैयार की जाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर तीन सीडियों को सील्ड मोहर किया गया व एक सीडी को अनुसंधान हेतु खुला रख शामिल पत्रावली किया गया। डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड जिसमें उक्त वार्ता रिकॉर्ड है उक्त मैमोरी कार्ड को भी सील्ड मोहर किया जाकर सील्डशुदा सीडियों व मैमोरी कार्ड को जमा मालखाना करवाया गया। तत्पष्चात सांय 04.30 बजे मन पुलिस निरीक्षक ने दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री लव मैनी को संदिग्ध आरोपी श्री हिमांशु मुद्गल, कनिष्ठ सहायक को रिश्वत में दी जाने वाली राशी पेश करने के लिए कहा, जिस पर परिवादी श्री लव मैनी ने अपने पास से 500-500 रूपये के 40 भारतीय मुद्रा के नोट कुल राशि 20,000/-रूपये निकाल कर गवाहान के समक्ष मन पुलिस निरीक्षक को पेश किये, उक्त नोटों के नम्बर फर्द पेशकशी व सुपूर्दगी नोट में अंकित करवाये गये। उसके बाद उपरोक्त सभी 500-500 रूपये के भारतीय मुद्रा के नोटों कुल राशि 20,000/- रूपये पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाने हेतु श्री कल्याण सहाय कानि. 383 से कार्यालय अलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर एक अखबार पर फिनोफ्थलीन पाउडर डलवाकर उक्त सभी नोटों पर लगवाया गया तथा परिवादी श्री लव मैनी की जामा तलाशी गवाह श्री निखिल कुमार से लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल के सिवाय अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई तत्पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर लगे उक्त 20,000/-रू0 के नोट सीधे ही श्री कल्याण सहाय कानि से परिवादी श्री लव मैनी के पहने हुए कुर्ते की बगल वाली दाहिनी साईड की जेब में रखवाये गये तथा परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छूवें व संदिग्ध आरोपी द्वारा मांगने पर ही उक्त नोट जेब से निकालकर उसे रिश्वत के रूप में देवे। आरोपी द्वारा रिश्वत ग्रहण करने के पश्चात् अपने सिर पर हाथ फेरकर या अपने मोबाईल फोन से मुझ पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल कर मुझे व ट्रेप पार्टी को ईशारा करे। गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के आस-पास रहकर रिश्वत के लेन-देन को देखने व दोनों के मध्य होने वाली वार्ता को सुनने का प्रयास करें। इसके बाद एक नये साफ प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नहीं बदला, उक्त घोल में श्री कल्याण सहाय कानि जिसने नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया था, के फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसे गवाहान व परिवादी

को दिखाकर समझाईश की गई कि अगर आरोपी इन नोटों को अपने हाथों से छुयेगा तो उसके हाथ इसी विधि से धुलवाने पर धोवन का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी वापस श्री कल्याण सहाय कानि से वापस कार्यालय की आलमारी में रखवायी जाकर गुलाबी घोल को बाहर फिकवाकर प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास व अखबार जिस पर नोटों को रख कर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था, उक्त गिलास व अखबार को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा श्री कल्याण सहाय कानि के हाथों को साबुन व पानी से अच्छी तरहं धुलवाकर साफ करवाया गया। गवाहान व जाप्ता की एक दूसरे से आपसी जामा तलाशी लिवाई जाकर किसी के पास कोई आपत्तीजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली शीशीयां, चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से धुलवाकर साफ करवाये गये एवं ट्रेप पार्टी के समस्त सदस्यों के हाथ साबुन व पानी से अच्छी तरहं धुलवाकर साफ करवाये गये। श्री कल्याण सहाय कानि को ब्यूरो कार्यालय में ही रहने की हिदायत कर यहीं छोडा गया। रिश्वत लेन-देन के समय संदिग्ध आरोपी से होने वाली बातचीत को रिकार्ड करने हेतु कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी को उसे चालू व बन्द करने (ऑपरेट करने) की विधि समझाई गई व रिश्वत लेनदेन के वक्त आरोपी से आपस में होने वाली वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके पेश करने के निर्देश दिये गये तथा उक्त डिजीटल वाईस रिकॉर्डर श्री भूपेन्द्र कुमार कानि. को सुपूर्द कर हिदायत की गई कि परिवादी जब संदिग्ध आरोपी के पास जाये उससे पूर्व डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू करके परिवादी को सुपुर्द करे। उक्त की फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थलीन पाउडर एंव सोडियम कार्बोनेट पृथक से तैयार की जाकर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। उसके बाद मन पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान, ट्रेप पार्टी सदस्य मय ट्रैप बाक्स, लैपटाप व प्रिन्टर एवं अन्य आवश्यक सामाग्री सहित कार्यालय से रवाना होकर सांय 06.45 बजे ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी जगतपुरा जयपुर के पास स्थित परिवादी की दुकान सिद्धी विनायक इलेक्ट्रिकल्स एण्ड सैनेट्री वेयर के पास पहुंचे, जहां मन पुलिस निरीक्षक द्वारा वाहन को साईड में खडा करवाकर स्वतंत्र गवाहान व जाप्ता को गाडी से नीचे उतरवाकर, उक्त दुकान के आस-पास अपनी उपस्थिति छिपाते हुये खडे रहने की हिदायत देते हुये परिवादी को संदिग्ध आरोपी को कॉल करने हेतु कहा गया, परिवादी ने संदिग्ध आरोपी को कॉल कर अवगत करवाया कि मैंने अभी संदिग्ध आरोपी को कॉल किया तो उसने कहा है कि आप लेट हो गये अभी तो मैं घर चला गया हूँ अभी आपके पास नहीं आ पाउंगा आप मुझे कल दिनांक 10.07.2024 को दोपहर करीब 1.00 बजे कॉल करना। इस पर परिवादी व स्टाफ को आवश्यक हिदायत दी जाकर संदिग्ध आरोपी के बिना बताये अचानक परिवादी के पास उसकी दुकान पर आने की सम्भावना के मध्यनजर गोपनीय रूप से मुकीम हुई। उसके बाद परिवादी ने अवगत करवाया कि उसका भी दुकान बन्द करने का समय हो गया है, इसलिए उस दिन कार्यवाही की सम्भावना नहीं होने के मध्यनजर परिवाद से रिश्वत राशि वापिस प्राप्त की जाकर उसको एक सफेद कागज के लिफाफे में रखकर लिफाफे को एक पॉलीथीन की थैली में बन्द कर मन पुलिस निरीक्षक के पास सुरक्षित रखा गया तथा परिवादी को रूखसत किया गया। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक मय ट्रेप पार्टी, दोनों स्वतंत्र गवाहान मय ट्रैप बाक्स, लैपटाप व प्रिन्टर एवं अन्य आवश्यक सामाग्री सहित वापिस रवाना होकर कार्यालय भ्र नि ब्यूरो जयपुर उपस्थित आई। रिश्वत राशि की बन्द थैली को कार्यालय आलमारी में सुरक्षित रखा गया। स्वतंत्र गवाहान व कार्यालय स्टॉफ को कल दिनांक 10.07.2024 को प्रातः 10.00 बजे कार्यालय में उपिस्थत होने की हिदायत कर रूखसत किया गया। तत्पश्चात दिनांक 10.07.2024 को दोपहर 12.00 बजे गवाहान के समक्ष परिवादी श्री लव मैनी द्वारा दिनांक 09.07.2024 को पेश किए गए पांच-पांच सौ रूपये के 40 नोट कुल राशि 20,000 रूपये जो एक सफेद रंग के कागज के लिफाफे मे रखकर लिफाफे को एक पॉलीथीन की थैली में बंद कर कार्यालय आलमारी मे सुरक्षित रखे थे, जिनको श्री कल्याण सहाय कानि. 383 से निकलवाया जाकर दोनो स्वतंत्र गवाहान से गिनवाया जाकर पूर्व मे तैयार की गई फर्द पेशकशी से नम्बरों का मिलान करवाया गया तो हूबहू उन्हीं नम्बरों के नोट पाए गए। उक्त प्रचलित भारतीय मुद्रा के पांच-पांच सौ रूपये के 40 नोट कुल राशि 20,000/-रूपये पर फिनोफ्थेलीन पाउडर लगवाने हेतु कार्यालय के श्री कल्याण सहाय कानि. 383 से कार्यालय की आलमारी में से फिनोलफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर टेबल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उपरोक्त पांच-पांच सौ रूपये के 40 नोट कुल राशि 20,000/-रूपये पर श्री कल्याण सहाय कानि. से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री लव मैनी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री निखिल कुमार से लिवाई जाकर उसके पास मोबाईल व मोटर साईकिल की चाबी मिली जो परिवादी के पास छोड़े गये। इसके अतिरिक्त परिवादी श्री लव मैनी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं पायी गई। उक्त फिनोलफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वती राशि 20,000/- रूपये भारतीय मुद्रा को सीधे ही श्री कल्याण सहाय कानि से परिवादी श्री लव मैनी के पहने हुए कुर्ते की बगल वाली दाहिनी साईड की जेब में रखवाये गये तथा परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छूवें व संदिग्ध आरोपी द्वारा मांगने पर ही उक्त नोट जेब से निकालकर उसे रिश्वत के रूप में देवे। आरोपी द्वारा रिश्वत ग्रहण करने के पश्चात् अपने सिर पर हाथ फेरकर या अपने मोबाईल फोन से मुझ पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल कर मुझे व ट्रेप पार्टी को ईशारा करे। गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के आस-पास रहकर रिश्वत के लेन-देन को देखने व दोनों के मध्य होने वाली वार्ता को सुनने का प्रयास करें। इसके बाद एक नये साफ प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार

करवाया गया तो घोल का रंग नहीं बदला, उक्त घोल में श्री कल्याण सहाय कानि जिसनें नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया था, के फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसे गवाहान व परिवादी को दिखाकर समझाईश की गई कि अगर आरोपी इन नोटों को अपने हाथों से छुयेगा तो उसके हाथ इसी विधि से धुलवाने पर धोवन का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी वापस श्री कल्याण सहाय कानि से वापस कार्यालय की आलमारी में रखवायी जाकर गुलाबी घोल को बाहर फिकवाकर प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास, कागज के लिफाफे, पॉलीथीन की थैली व अखबार जिस पर नोटों को रख कर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था, उनको जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा श्री कल्याण सहाय कानि के हाथों को साबुन व पानी से अच्छी तरहं धुलवाकर साफ करवाया गया। गवाहान व जाप्ता की एक दूसरे से आपसी जामा तलाशी लिवाई जाकर किसी के पास कोई आपत्तीजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली शीशीयां, चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से धुलवाकर साफ करवाये गये एवं स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी के समस्त सदस्यों के हाथ साबुन व पानी से अच्छी तरहं धुलवाकर साफ करवाये गये। श्री कल्याण सहाय कानि को ब्यूरो कार्यालय में ही रहने की हिदायत कर यहीं छोडा गया। रिश्वत लेन-देन के समय संदिग्ध आरोपी से होने वाली बातचीत को रिकॉर्ड करने हेतु कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी को उसे चालू व बन्द करने (ऑपरेट करने) की विधि समझाई गई व रिश्वत लेनदेन के वक्त आरोपी से आपस में होने वाली वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके पेश करने के निर्देश दिये गये तथा उक्त डिजीटल वाईस रिकॉर्डर श्री भूपेन्द्र कुमार कानि. को सुपूर्द कर हिदायत की गई कि परिवादी जब संदिग्ध आरोपी के पास जाये उससे पूर्व डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू करके परिवादी को सुपुर्द करें। उक्त कार्यवाही की फर्द सुपूर्दगी नोट एवं दृष्टांन्त फिनोफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट तथा सुपूर्दगी डिजीटल वाईस रिकॉर्डर पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान, ट्रेप पार्टी सदस्य मय ट्रैप बाक्स, लैपटाप व प्रिन्टर एवं अन्य आवश्यक सामाग्री सहित कार्यालय से रवाना होकर दोपहर 02.30 बजे ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी जगतपुरा जयपुर के पास स्थित परिवादी की दुकान सिद्धी विनायक इलेक्ट्रिकल्स एण्ड सैनेट्री वेयर के पास पहुंचे, जहां मन पुलिस निरीक्षक द्वारा वाहन को साईड में खडा करवाकर स्वतंत्र गवाहान व जाप्ता को गाडी से नीचे उतरवाकर, उक्त दुकान के आस-पास अपनी उपस्थिति छिपाते हुये खडे रहने की हिदायत की जाकर गोपनीय रूप से मुकीम हुई। आरोपी के बिना बताये अचानक परिवादी की दुकान पर आने की सम्भावना के मध्यनजर परिवादी को पास में ही स्थित उसके मकान नं0 392, पिंक सिटी एनक्लेव, नीयर ज्ञान विंहार यूनिर्वसिटी, जगतपुरा, जयपुर पर पहुंचकर आरोपी का इंतजार करने, व आरोपी से सम्पर्क होते ही अविलम्ब मन पुलिस निरीक्षक को अवगत करवाये जाने की हिदायत की जाकर परिवादी व श्री भूपेन्द्र कुमार कानि. को परिवादी के मकान पर रवाना किया गया। सायं 07.15 बजे परिवादी ने मन पुलिस निरीक्षक को अवगत करवाया कि अभी-अभी आरोपी का मेरे पास कॉल आया है, वह मेरी दुकान पर आ चुका है, जिस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों को परिवादी की दुकान सिद्धी विनायक इलेक्ट्रिकल्स एण्ड सैनेट्री वेयर के आस-पास अपनी उपस्थिति छिपाते हुये खडे रहने की हिदायत देते हुये परिवादी को संदिग्ध आरोपी के पास उसकी दुकान पर जाने हेतु रवाना कर ट्रैप हेतु जाल बिछाया। श्री भूपेन्द्र कुमार कानि. ने अवगत करवाया कि मैंने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी को दे दिया है। उसके बाद सांय 07.29 बजे परिवादी श्री लव मैनी ने उसकी दुकान सिद्धी विनायक इलेक्ट्रिकल्स एण्ड सैनेट्री वेयर, नीयर ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी, जगतपुरा जयपुर के शीशे के पारदर्शी गेट पर आकर पूर्व निर्धारित ईशारा अपने सिर पर हाथ फेरकर करने पर मन पुलिस निरीक्षक मय गवाहान तथा जाप्ते को साथ लेकर उक्त दुकान सिद्धी विनायक इलेक्ट्रिकल्स एण्ड सैनेट्री वेयर के अन्दर प्रवेश किया तो अन्दर परिवादी के सामने स्थित टेबिल की दूसरी ओर कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा हुआ मिला, परिवादी ने उक्त व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए बताया कि ये ही हिमांशु मुद्गल कनिष्ठ सहायक हैं। इस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा मय गवाहान व हमराही जाप्ते ने परिवादी के सामने कुर्सी पर बैठे उक्त व्यक्ति को अपना परिचय देते हुए उससे उसका परिचय पूछा तो उसने घबराते हुए अपना नाम श्री हिमांशु मुद्गल कनिष्ठ सहायक कार्यालय सहायक अभियंता नगर उपखण्ड-II दक्षिण सांगानेर जयपुर होना बताया। इस पर मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी की तरफ ईशारा कर आरोपी से पूछा कि आपने अभी-अभी इनसे रूपये लिये हैं तो उसने घबराते हुए बताया कि मैने इनसे कोई रूपये नहीं लिए। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी के सामने टेबिल पर रखे रूपयों के सम्बंध में आरोपी से पूछा कि आपने नहीं लिए तो यह क्या हैं इस पर आरोपी चुप हो गया। आरोपी से पूछा कि आप परिवादी श्री लव मैनी के पास यहां उसकी दुकान पर क्यों आये थे इस पर आरोपी ने कहा कि मैं तो इनसे मिलने आया था। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से उसको पूर्व में सुपूर्द किया गया डिजीटल वाईस रिकॉर्डर वापिस प्राप्त कर उसको बन्द कर सुरक्षित कब्जा लिया गया। तत्पश्चात दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष एक बोतल में साफ पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स से एक नया प्लास्टिक का पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकाल कर उसकों अच्छी तरहं साफ करवाकर उसमें पानी भरवाया गया तथा उक्त पानी में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया, घोल रंगहीन रहने पर उस घोल में श्री हिमांशु मुद्गल कनिष्ठ सहायक के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे दोनों स्वतंत्र गवाहान व श्री हिमांशु मुद्गल को दिखाकर धोवन को दो कांच की साफ शीशीयों में आधा-आधा भरवाकर सील

मोहर चिट चस्पा कर कपडे व चिट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क R-1 व R-2 अंकित कर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। इसके बाद एक दूसरे साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में पुनः पूर्वानुसार साफ धुलवाकर पानी भरवाया गया एवं उक्त पानी में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाकर घोल में श्री हिमांशु मुद्गल के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे उपस्थित दोनों गवाहान व श्री हिमांशु मुद्गल को दिखाकर दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा कर चिट व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क L-1 व L-2 अंकित कर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पश्चात गवाह श्री संदीप मीणा से टेबिल पर आरोपी के सामने रखे हुए रूपयों को उठवाकर गिनवाया गया तो उन्होंने गिनकर 500-500 रूपये के 40 नोट, कुल 20,000 रू0 होना बताया। दोनों स्वतंत्र गवाहान से उक्त सभी नोटो के नम्बरों का मिलान पूर्व फर्द पेशकशी में अंकित नोटों के नम्बरों से करवाने पर हूबहू उसी नम्बर के 20,000 रू0 के नोट होना पाये गये। बरामद शुदा 20,000/-रू0 को एक सफेद कागज में सील मोहर करवाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी के सामने स्थित टेबिल जहां से रिश्वत राशि बरामद हुई उक्त स्थान के धोवन हेतु एक बोतल में साफ पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स से एक नया प्लास्टिक का पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकालकर उसको अच्छी तरहं साफ करवाकर उसमें पानी भरवाया गया तथा उक्त पानी में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया, घोल रंगहीन रहने पर उस घोल में रूई के एक फोव्वे की मदद से टेबिल पर जहां से रिश्वत राशि बरामद हुई उक्त स्थान का धोवन लिया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे दोनों स्वतंत्र गवाहान व श्री हिमांशु मुद्गल को दिखाकर धोवन को दो कांच की साफ शीशीयों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा कर कपडे व चिट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क T-1 व T-2 अंकित किया जाकर कर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। रूई का उक्त फोव्वा जिसकी मदद से टेबिल का धोवन लिया गया उक्त फोव्वे को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर कपडे की थैली को सील मोहर कर मार्क T अंकित किया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद परिवादी व आरोपी को आमने सामने कर आरोपी से पूछा गया कि आपने इनसे किस बात के रूपये लिए हैं तो उसने घबराते हुए बताया कि कि मैंने इन श्री लव मैनी के भाई को उधार रूपये दिये थे मैं उससे रूपये मांगता था वह रूपये आज इनसे लिए हैं, जिस पर परिवादी ने आरोपी की बात का खण्डन करते हुए बताया कि पीएचईडी सांगानेर में मेरी पानी के कनेक्शनों की फाईलों को अप्रूव्ड करने की एवज में यह श्री हिमांशु मुद्गल कनिष्ठ सहायक मेरे से 20,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर रहा था, जिसको मैने आप द्वारा दिये गये डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड करके भी आपको दिया था, इनकी मांग के अनुसार उक्त 20,000 रूपये मैंने इनके मांगने पर आज इनको दिये हैं। इसके पश्चात श्री हिमांशु मुद्गल कनिष्ठ सहायक ने पूछने पर बताया कि मेरा नाम हिमांशु मुद्गल पुत्र श्री भक्तवत्सलम शर्मा जाति ब्राहम्ण, उम्र 34 साल निवासी 5-बी प्रेम नगर खातीपुरा रोड झोटवाडा जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय सहायक अभियंता नगर उपखण्ड-II दक्षिण सांगानेर जयपुर है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2024 की धारा 105 के प्रावधानों के तहत उक्त बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ व टेबिल धुलवाई की श्री भूपेन्द्र सिंह कानि. 442 से जरिये मोबाईल वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई गई, जिसकी सीडी बनवाने हेतु चार खाली सीडीयों को खाली होना सुनिश्चित कर बारी-बारी लैपटॉप की सहायता से वीडियो रिकॉर्डिंग की चार अलग-अलग सीडियां तैयार की जाकर सही होना सुनिश्चित कर मार्का "VR-1", "VR-2", " VR-3" व "VR-4" अंकित किया गया। सीडी मार्का "VR-1", व "VR-2" को पृथक-पृथक सफेद कपडे़ की थैलियों में रखकर सील्ड मोहर कर कपडे की थैलियों पर मार्का-"VR-1", व "VR-2" अंकित कर सिलचिट चस्पा कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा सीडी मार्का "VR-3" व "VR-4" (न्यायालय काँपी) को खुला रख शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात आरोपी से परिवादी की पानी के कनेक्शनों से सम्बंधित फाईलों व रिकॉर्ड के सम्बंध में पूछने पर आरोपी ने बताया कि उक्त फाईलें व रिकॉर्ड कार्यालय रिकॉर्ड में हैं मेरे पास नहीं हैं। इसके बाद परिवादी द्वारा पेश किये गये डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को हमराह लैपटाप से जोडकर सुना गया तो उसमें वार्ता रिकॉर्ड होना पाई गई। उक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वती राशि पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात आरोपी श्री हिमांशु मुद्गल पुत्र श्री भक्तवत्सलम शर्मा जाति ब्राहम्ण, उम्र 34 साल निवासी 5-बी प्रेम नगर खातीपुरा रोड झोटवाडा जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर उपखण्ड-II (दक्षिण) सांगानेर जयपुर के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का आरोप प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी को हस्व कायदा गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी व दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष, परिवादी व आरोपी श्री हिमांशु मुद्गल, कनिष्ठ सहायक के मध्य वक्त रिश्वत लेनदेन दिनांक 10.07.2024 को हुई वार्ता जो कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड की गई थी उक्त डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्डशुदा वार्ता को परिवादी व गवाहान की मौजूदगी में कम्प्यूटर की सहायता से सुना गया तथा फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की गई। तत्पश्चात वार्ता की सीडी बनवाने हेतु चार खाली सीडीयां मंगवायी जाकर चारों सीडियों को खाली होना सुनिश्चित कर बारी-बारी कम्प्यूटर की सहायता से रिकॉर्डशुदा वार्ता की चार अलग-अलग सीडियां तैयार की गई तथा तीन सीडियों को सील्ड मोहर कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया व एक

सीडी को अनुसंधान हेतु खुला रख शामिल पत्रावली किया गया। डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड को निकलवाकर उसको सील्ड मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। फर्द ट्रांस्क्रिप्ट वक्त रिश्वत लेन देन पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। अब तक की सम्पूर्ण ट्रैप कार्यवाही से आरोपी श्री हिमांशु मुद्गल पुत्र श्री भक्तवत्सलम शर्मा जाति ब्राहम्ण, उम्र 34 साल निवासी 5-बी प्रेम नगर खातीपुरा रोड झोटवाडा जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर उपखण्ड-II (दक्षिण) सांगानेर जयपुर ने लोकसेवक के पद पर रहते हुये, अपने पद का दुरूपयोग कर, भ्रष्ट तरीके से परिवादी श्री लव मैनी के ग्राहकों के नये पानी के कनेक्शनों की फाईलों को अप्रूव्ड करने की एवज में मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 06.07.2024 के अनुसार परिवादी से 20,000 रूपये की मांग की जाकर उक्त मांग के अनुसरण में दिनांक 10.07.2024 को वक्त रिश्वत लेनदेन परिवादी से उक्त 20,000 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करते हुये रंगे हाथों पकडे़ जाने से आरोपी का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने पर श्री हिमांशु मुद्गल पुत्र श्री भक्तवत्सलम शर्मा जाति ब्राहम्ण, उम्र 34 साल निवासी 5-बी प्रेम नगर खातीपुरा रोड झोटवाडा जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर उपखण्ड-II (दक्षिण) सांगानेर जयपुर के विरूद्ध उपरोक्त धारा में प्रकरण पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन श्रीमान की सेवा में प्रेषित है। (कविता यादव) पुलिस निरीक्षक स्पेशल इन्वेस्टीगेशन विंग, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर .....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती कविता यादव, पुलिस निरीक्षक, स्पेशल इन्वेस्टीगेशन विंग, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री हिमांशु मुद्गल पुत्र श्री भक्तवत्सलम शर्मा उम्र 34 साल निवासी 5-बी प्रेम नगर खातीपुरा रोड झोटवाडा जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर उपखण्ड-II (दक्षिण) सांगानेर जयपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री सज्जन कुमार, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.आई.यू.जयपुर को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 820 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर क्रमांक 726-29 दिनांक 12.07.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयुपुर प्रथम । 2 मुख्य अभियंता (प्रशासन) जन स्वा0अभि0 विभाग राजस्थान जयपुर। 3 उप महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर । 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्पेशल इन्वेस्टीगेशन विंग भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Sajjan Kumar **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 12/07/2024 19:2[redacted]

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1990				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)